



संस्था के उद्देश्य एवं कार्य-नियम

1. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु रचनात्मक एवं मानवतावादी गतिविधियों के माध्यम से कार्य करना।
2. सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त कर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना, जैसे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर तथा चिकित्सीय सहायता सेवाएँ।
3. समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य एकता, बंधुत्व, सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को बढ़ावा देना।
4. नैतिक, चारित्रिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं सहयोग करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
5. व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन में सहयोग करना।
6. तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रशिक्षण केंद्रों, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
7. विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा साक्षरता केंद्रों, संस्कार शिक्षा केंद्रों जैसे अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों का संचालन एवं प्रबंधन करना।
8. समाज के निराश्रित, वृद्ध, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करना।
9. नशा मुक्ति हेतु जागरूकता अभियान चलाना तथा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
10. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना तथा संबंधित प्राधिकरण की अनुमति से वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
11. समाज के विकास हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं मानवतावादी गतिविधियों का संचालन करना।
12. समाज के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
13. महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना तथा उनके सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करना।



संस्था के उद्देश्य एवं कार्य-नियम

14. स्वयं सहायता समूहों एवं समुदाय आधारित संगठनों को मार्गदर्शन, सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
15. स्वच्छ भारत अभियान सहित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों का संचालन करना।
16. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान करना।
17. जैविक कृषि एवं सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार-प्रसार एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करना।
18. विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन, संचालन एवं प्रबंधन करना।
19. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु रोजगारोन्मुखी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरक एवं समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करना।
20. समाज के समग्र विकास हेतु छात्रावास, आश्रय गृह, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, बाल गृह, प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशालाएँ एवं सामुदायिक सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं प्रबंधन करना।